

12-316 वकील वादिया उपर है। वकील प्रतिवादीगण वकजूद नुक्का उपस्थित मही है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध दफतरका कार्यवाही की जाती है। अतः साक्ष्य वादी पत्रावली दि० 12-316 को पेश हो।

12-316 वकील वादिया उपर है। वकील साक्ष्य वादी पत्रावली 22-316 को पेश हो।

31-316 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अपस्थित पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31-316 को पेश हो।

31-316 वकील वादिया उपर है। वकील वादिया साक्ष्य कवाने को समय चाहते हैं। अतः साक्ष्य पत्रावली दि० 5-516 को पेश हो।

31-516 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अपस्थित पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-6-16 को पेश हो।

10-616 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प रोकसी में पेश हुई। वादिया कनोवाई व प्रतिवादी पितूराम उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादिया को इसकी भूमि ख० नं० 1254 रकबा 21 अक्षर ग्राम रोकसी का सीमाशाम तहसीलदार के नेतृत्व में दलका गिरदावर व पटवारी की टीम से करवा दिया जावे तथा वादिया को भूमि के सीमाचिन्हों से अवगत करवा दिया जावे। इसी आधार पर वादिया को दवा वापिस लेने की

2969-74
31-5-16

नि० पितूराम

वादी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	<p>अनुमति दी जावे। अगर कादिया की भूमि प्रतिवादीगण के दबी हुई सीमानामें आती है तो जया दावा पेश करने की अनुमति दी जावे।</p> <p>पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है एवं वाजीनामा अनुसार पक्षकारों का निर्णय किया जाता है। पचा डिक्ली जारी किया जावे। राजीनामा निर्णय का डिस्कार्डिंगा प्रवाक्ती कैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकरीब दफ्तर हो।</p> <p> <i>(Sudhanshu Kumar)</i> (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी </p> <p> <i>(Ravi Kumar Sharma)</i> (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी </p> <p> <i>(Munir Khan)</i> (मुनिदेव शर्मा) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी </p>

न
अ
हु

पीठासीन 3

बल्लोबाई धर्म

1. पित्तूराम
2. सहीराम पु
3. राकेश पु
4. कमला पर
5. छुट्टन पु

मुकदमा नं. -
वादी
वाद में आज
पेश होने पर,
लोक
अध्यक्षता में
सीमाज्ञान क
पक्षकारान अ
यह

जिला म

शक्ति पर
प्रदर्श के

सचिवो व
कनिस्तर
अदेशिक

नम्बर व
अहकान
हुकम की
में जारी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

बत्तोबाई धर्मपत्नी नाहरसिंह मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी

—वादिया

बनाम

1. पित्तूराम पुत्र बसंता मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. सहीराम पुत्र बसंता मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. लक्ष्मण पुत्र सहीराम मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4. कमला पत्नी सहीराम मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
5. कुदृत्तन पुत्र प्यारेलाल मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 27/2015

वादी की ओर से वादिया बत्तो व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी पित्तूराम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए आ जाने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी अपनी अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर भूमि ख0न0 1254 रकबा 21 एयर ग्राम टोकसी में वादिया की भूमि का सीमांकन करवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारों अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वादी	वाद के खर्चे		रूपया
	प्रतिवादी	रूपया	
1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. अर्जी के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस		
4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील		
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील			
जोड	जोड		

राज्य सफ़खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोम्प कोर्ट)
 कोम्प कोर्ट का स्थान :- डोवली

प्रकरण 4
 2/10/16

राजीनामा प्रपत्र

पीठासीन अधिकारी महोदय
डोवली
 वक्तोबाई
 27/15

दिनांक 10/6/16

बनाम पित्तूराम वगैरे
 अन्तर्गत धारा 188 R.T.ACT

अपील प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री वक्तोबाई
 को उक्त उक्तान का प्रकरण आपके न्यायालय में लेखित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
 गई है। उक्त सुलह के बाद कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच साबन्ध अच्छे हो चुके हैं।
 उक्त राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

वक्तोबाई को उत्तर पक्ष में रखना?
रकबा 0.21 हे. गाम - डोवली का सीमा वक्तोबाई
पित्तूराम व पुत्र वक्तोबाई व पुत्र वक्तोबाई
वक्तोबाई को पुत्र वक्तोबाई वक्तोबाई वक्तोबाई
वक्तोबाई वक्तोबाई वक्तोबाई वक्तोबाई
वक्तोबाई वक्तोबाई वक्तोबाई वक्तोबाई
वक्तोबाई वक्तोबाई वक्तोबाई वक्तोबाई

1. वक्तोबाई
 2.
 3.
 4.

प्रतिवादी पक्ष 1.
 2. पित्तूराम
 3.
 4.

प्रार्थी के हस्ताक्षर
 नाम वक्तोबाई

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर सुरपंच
 नाम ग्राम पंचायत टोंगरी
पं० स० गंगपुर सिटी (स०मा०)

एव अप्रार्थी/ प्रतिवादी पित्तूराम
 इस सन्निहित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व जमा कर सही होना
 सुनिश्चित है। उक्त राजीनामा हस्तव्याहिश पक्षकार वर्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल नियंत्र रहे।

सुरेश कुमार शर्मा
 (ह० सदस्य)
 एडवोकेट
 सदस्य
 लोक अदालत
 गंगपुर सिटी

रवि कुमार शर्मा
 (ह० सदस्य)
 एडवोकेट
 सदस्य
 लोक अदालत
 गंगपुर सिटी

मनिंदर यादव
 (ह० सदस्य)
 अध्यक्ष
 लोक अदालत
 गंगपुर सिटी
 एडवोकेट

शाब्द
15/6/16

जिला कलेक्टर
मुख्यालय

प्रपत्र-1

अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान 2/1/16

नम्बर मुकदमा 22/15

उत्तवान मुकदमा कर्त्तव्य

बनाम
पिचूवाम

3/1/16

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा
करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/
अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता
है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान 2/1/16

दिनांक 10/6/16

9
कैम्प कोर्ट

पिचूवाम